

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2023/184

मुकदमा नम्बर 68/2023

दायर दिनांक-30.05.2023

1. अजय कुमार इन्दोरिया पुत्र गिरधारीलाल इन्दोरिया
2. अशोक कुमार पुत्र प्रकाश इन्दोरिया
3. यशवन्त इन्दोरिया पुत्र गिरधारी इन्दोरिया जाति ब्राहमण निवासीगण डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... वादी

1. रामचन्द्र गोयनका ट्रस्ट डूण्डलोद नेताजी सुभाष रोड कोलकता जरिये प्रबन्धक प्रधुमन शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
2. सुशीला देवी पुत्री मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
3. सावित्री पत्नी जगदीश जाति माली निवासी ग्राम डूण्डलोद
4. हरफूल सिंह पुत्र रामसिंह पूनिया जाति जाट निवासी ग्राम डूण्डलोद
5. तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर नवलगढ़

..... प्रतिवादी

दावा – विभाजन

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री अशोक कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी 1,3,4- श्री विशाल

प्रतिवादी सं. 2,,5, - एक पक्षीय

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 24.05.2024

वाद वादी दिनांक 04/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/1500 दिनांक 04/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जयसिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/184

मुकदमा नम्बर 68/2023

दायर दिनांक-30.05.2023

(अजय कुमार वगै0 बनाम रामचन्द्र गोयनका ट्रस्ट वगै0)

दावा - विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जयसिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 04/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/1500 दिनांक 04/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह...
...-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 24 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	1.00	मुतफरिक मिजान	0.00